पर्यावरणीय जन–सुनवाई के कार्यवृत (Minutes)

मैसर्स शक्ति ट्रेडर्स (प्रो. प्रेमपाल सिंह चौहान), ओडवाडिया मेसनरी स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, एम.एल.न. 01/2020, (क्षैत्रफल 1.00 हैक्टेयर) दिनांक 30.08.2024, समय– प्रातः 11:00 बजे, आयोजित पर्यावरणीय जन–सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

स्थान– ग्राम–ओडवाडिया, तहसील–घाटोल, जिला–बांसवाड़ा (राज.)

पर्यावरणीय जनसुनवाई में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई–

1. **श्री अभिषेक गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला– बांसवाड़ा**
2. **श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा**
3. **श्री शिव दयाल धाकड, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा**

जन सुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री अभिषेक गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला– बांसवाड़ा की अध्यक्षता में श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए तथा जन सुनवाई के संबंध में नियमो की जानकारी देते हुए कहा की यह जन सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसुचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानो के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 31.07.2024 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.08.2024 को आमजन को सूचना हेतु जन सुनवाई की तारीख, स्थान, समय के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी।

यह जनसुनवाई **"मैसर्स शक्ति ट्रेडर्स"** द्वारा प्रस्तावित मेसनरी स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 01/2020 लीज क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर, प्रस्तावित मेसनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 1,11,111 TPA क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 6.7175 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,86,111 TPA (ROM) ग्राम–ओडवाडिया, तहसील–घाटोल, जिला–बांसवाड़ा (राज.) स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 0.9 करोड है।

उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमे आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमे दे सकते है।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को संदर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 07.12.2022 को इस कमेटी द्वारा जारी की जा चुकी है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योगो द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "1" में संलग्न) हैं।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (आर. के. कन्सल्टेन्टस्, जोधपुर) द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आई.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि नियमानुसार है :–

देवी लाल जी, सरपंच ग्राम पंचायत, पड़ोली राठौड़ :– ने कहा कि जो आपने खनन के बारे जानकारी बताई इसमें जो भी बताया वो सब ठीक है। पर्यावरण के बारे मे वृक्षारोपण हो तो अच्छा रहेगा, इसके अलावा जो खनन के बारे मे जो नियम बताए वो सब सही है। और इस खनन प्रोजेक्ट से हमारे भील जाति को फायदा है, हमको बांसवाड़ा जाना पड़ता है जो कि दूर है इससे हमारे लोगो को रोजगार भी मिलेगा। पानी का छिड़काव हो रहा है कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, और आगे भी पानी का छिड़काव कराते रहेगे इसके लिए हम अवगत करेगे ।

केसरी सिंह, निवासी ओडवाडिया :– ने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट लगने से आस पास के कई लोगो को रोजगार प्राप्त होगा। प्रदूषण के लिए वृक्षारोपण वास्तव में लगा देवे ।

इंद्रपाल जी, निवासी ओडवाडिया :– ने कहा कि माइनिंग की जो बात कही वो अच्छी है। लोगो को रोजगार मिलगे, प्रदूषण माइनिंग से इतना होता नहीं है लेकिन आप लोगो ने जो इंट्रक्शन दिए है उसकी पालना सुनिश्चित करे।

श्री अभिषेक गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जन सुनवाई में ग्रामीणों एवं परियोजना प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया कि कोई भी माइनिंग का प्रोजेक्ट आता है उससे पहले नियमो के अनुसार उस क्षेत्र मे रहने वाले ग्रामवासियो से उनकी बाते सुनने का एक नियम कानून बना है उसके तहत आपसे हम यह जानने आये कि आप लोगो का क्या सुझाव है या आप लोगो को हमे कोई मसला बताना हो। माइंस जो की मेसनरी स्टोन की है जिससे जिससे खेतो मे बाउंड्री वाल मकान जो दिवार बनती है, उसकी यह माइंस है इसी पत्थर से गिटी भी बनाई जाती है जैसे कि सरपंच साहब ने और दो तीन व्यक्तियो ने कहा कि माइंस जैसी आर्थिक गतिविधियों

के आने से अपने गांव के लोगो को रोजगार मिलता है यही चीज आप सभी ने जाहिर करी कि सभी को रोजगार मिलेगा, जहा तक बात इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए आप लोगो ने सुझाव दिए कि फर्म द्वारा वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में कराया जाए। यहा पर माइंस कंपनी या फर्म वास्तविकता में वृक्षारोपण करे ऐसा न हो कि 100 पेड़ लगाए और 80 पेड़ खत्म हो जाये। वृक्षारोपण ऐसा करे कि 100 पेड़ लगाए और 100 पेड़ बचे दूसरा कि उसको बच्चो की तरह देखभाल करे ताकि एक ऊंचाई पर आने के बाद जानवर भी उसको खा न पाए एक तो वृक्षारोपण अच्छे से लगाए दूसरा कि पानी का छिड़काव जो आपने अभी ग्रामवासियो ने जाहिर किया पानी का छिड़काव जितना अच्छा होगा उतना माइनिंग मे धूल कम उड़ेगा। विभाग द्वारा फर्म को पाबंद भी किया जाएगा कि इन चीजों को सुनिश्चित करे।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा घोषणा की गई कि जन सुनवाई आप सभी की उपस्थिति में संपन्न की जाती है।

धन्यवाद।

(रवि चंदेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

(अभिषेक गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जिला– बांसवाड़ा

परिशिष्ट : 1

मैसर्स शक्ति ट्रेडर्स (प्रो. प्रेमपाल सिंह चौहान), की प्रस्तावित "ओडवाडिया मेसनरी स्टोन खनन परियोजना" (खनन पट्टा संख्या/एम.एल.नं.– 01/2020, लीज क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1,11,111 TPA (मेसनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 1,00,000 TPA एवं मिनरल वेस्ट 11,111 TPA) निकट ग्राम–ओडवाडिया, तहसील–घाटोल, जिला–बॉसवाड़ा की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 30.08.2024 को 11:00 AM बजे, ग्राम–ओडवाडिया, तहसील–घाटोल, जिला–बॉसवाड़ा में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	अभिषेक गोयल	अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा	[illegible]
2.	रवि कुमार पन्दित	क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	[illegible]
3.	शिवदयाल धाकड़	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा	[illegible]
4.	देवीलाल निनामा	[illegible]	देवीलाल
5.	प्रेमपाल सिंह	ओडवाडिया	[illegible]
6.	[illegible] सिंह चौहान	ओडवाडिया	[illegible]
7.	मणीलाल पंचाल	ओडवाडीया	मणीलाल
8.	लक्ष्मण	ओडवाडिया	लक्ष्मण
9.	कमला शंकर मइडा	ओडवाडिया	
10.	रामलाल	ओडवाडिया	रामलाल
11.	परतु	ओडवाडिया	परतु
12.	विट्ठल	ओडवाडिया	
13.	गौतम	ओडवाडिया	गौतम
14.	रूपसिंह	ओडवाडिया	रूपसिंह
15.	निकेश	ओडवाडिया	निकेश
16.	देवली	ओडवाडिया	
17.	हेमीया	ओडवाडिया	

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
18.	बाला	ओडवाडिया	
19.	नाकु	ओडवाडिया	नाकु
20.	बलवीर सिंह	ओडवाडीया	
21.	कल्याणसिंह	ओडवाडीया	कल्याणसिंह
22.	प्रतापसिंह चौहान	ओडवाडिया	प्रतापसिंह चौहान
23.	जवहर लाल निवासी	ओडवाडिया	जवहर
24.	धारजी	ओडवाडिया	धारजी
25.	कचरू (9 | क 2)	ओडवाडिया	कचरू
26.	रमेश	ओडवाडिया	
27.	मुकेश	ओडवाडिया	मुकेश
28.	राजु	ओडवाडिया	राजु
29.	राजेश समेरा	समेरा	राजेश
30.	विनोद - मिणा	समेरा	विनोद
31.	शम्भुसिंह	ओडवाडिया	
32	इन्द्रपालसिंह	ओडवाडीया	
33.	लोकेन्द्र सिंह	जोधपुर	
34.	जय प्रकाश	जोधपुर	
35.	शंकर	ओडवाडीया	शंकर